न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/176/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/519

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री गोपीराम शर्मा, नि0 बी–91, वार्ड नं037, मालवीय नगर, अलवर		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर

प्रवेश तिथि :: 28.11.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 10.01.2023

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने ऑनलाईन आर.टी.आई. पोर्टल पर **आवेदन–पत्र दिनांकः 05.10.2022** व आवेदन संख्या 293695974761351 के माध्यम से पेंशन एरियर संबंधी सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. वांछित सूचना, प्रत्यर्थी के नियंत्रणाधीन कार्यालय, कोषाधिकारी, अलवर द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 05.11.2022 के माध्यम से ऑनलाईन आर.टी.आई. पोर्टल पर अपील सं. 293312051082900 प्रस्तुत की गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। प्रत्यर्थी की ओर से अपील में आक्षेपित बिन्दुओं के क्रम में संबंधित कार्यालय कोषाधिकारी, अलवर से सूचना प्राप्त कर जरिये पत्र सं. 83 दिनांकः 10.01.23 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है।
6. अपीलार्थी के **सूचना आवेदन दिनांकः 05.10.2022 में वांछित सूचना, प्रथम अपील दिनांकः 05.11.2022 में उठाये गये तथ्यों एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त जवाब नोटिस का परीक्षण** किया गया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा कोषाधिकारी, अलवर से सूचना प्राप्त कर आक्षेपित पेंशन कम्प्यूटेशन, एरियर संबंधी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा चुकी है। अपीलार्थी वांछित सूचना के संबंध में कोषाधिकारी, अलवर कार्यालय में संपर्क स्थापित कर अन्य प्रश्नगत जानकारी प्राप्त कर सकता है।
8. प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना उचित एवं पर्याप्त है। अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 10.01.2023 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)